HAMIRPUR POLICE

METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने व एससी/एसटी एक्ट में 03 अभियुक्तों को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 30,000 रूपये के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, **थाना मौदहा** में पंजीकृत **मु0अ0सं0- 1196/2008 धारा–323,325,504 भा0द0सं0 व 3(1)10 एससी/एसटी में** सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में **मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट कोर्ट** जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण **1.जसवन्त सिंह पुत्र रामरतन सिंह 2.जयकरन सिंह पुत्र रामरतन सिंह व 3.धर्मराज सिंह पुत्र रामरतन सिंह** निवासीगण ग्राम करहिया, थाना मौदहा जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए **03 वर्ष का सश्रम कारावास व प्रत्येक को 10-10 हजार रूपये के अर्थदंड** से दण्डित किया गया।

	अभियोजक- एडीजीसी विजय सिंह		विवेचक- सीओ अशोक कुमार सिंह		पैरोकार- थाना मौदहा का0 शुभम